# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
## राजस्व वादपत्र संख्या :– 115 / 2021

4. मरिया देवी पत्नी भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 17,भैरू मोहल्ला खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

**बनाम**

1 मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. सुल्तानराम पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. कालूराम पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. दलीप कुमार पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. देवीलाल पुत्र हरफुलराम जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. महेश कुमार पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

5. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
6. पैरोकारराज उपस्थित

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 7.10.22

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया के नाम से वाके चक 8 के.जे.डी.(ए) तहसील खाजूवाला के मु.नं. 102 / 18 के कि. नं. 20 में 18 बिस्वा कुल 0.18 बीघा का 1 / 5 हिस्सा [illegible] माल है। जिस पर वादिया लम्बे अरसे से काबिज काश्त है एवं उक्त [illegible] बनाकर अपने परिवार सहित निवास करती है। प्रतिवादी [illegible] व भूमाफिया व्यक्ति है, जो गरीब व असहाय लोगों की [illegible] है तथा प्रतिवादी सं0 [illegible] 6 कई बार अनाधिकृत रूप से वादीया की भूमि में अवै[illegible] रूप से प्रवेश कर क[illegible]ने का प्रयास किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:14 IST
Reason: Self Attested

लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने नापाक इरादों में कामयाब होने से नाकाम रहे। वादिया दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने साथ दस–बारह आदमियों सहित हथियारों से लैस वादिया के कब्जा काश्त रकबा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर

वादीया के साथ मार–पीट लड़ाई–झगड़ा करके व डरा धमका कर उक्त रकबा व मकान से जबरन बाहर निकालकर बेदखल कर दिया। वादीया ने विरोध किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 वादीया को जान सहित मारने पर उतारू हो गये और साफ धमकी दी कि हमनें तो तुम्हें तुम्हारे रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया है। अब तुम चुप–चाप यहां से चली जाओ अन्यथा तुम्हें जान से मार देगें। इस पर वादीया वहां से बेबस होकर चली आई और उन्होंने वादीया का कब्जा काश्त उक्त भूमि व मकान पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 6 उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा किया है, जो कि वादीया अपना कब्जा वापस पाने की विधिक अधिकारी है। अतः वादीया वाके चक 8 के. जे.डी.(ए) तहसील खाजूवाला के मु.नं. 102/18 के कि. नं. 20 में 18 बिस्वा कुल 0.18 बीघा का 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने जबरन अतिक्रमण कर लिया । जिस पर प्रतिवादी सं. 7 को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि कुर्क कर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को खेत व मकान से बेदखल कर वादीया को कब्जा देने के आदेश फरमावें एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 पर बेजा अतिक्रमण व कब्जा करने पर

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को समन जरिये रजि0ए0डी0 भिजवाया गई किन्तु उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के विरूद्ध दिनांक 17.06.22 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने की सूचना प्रार्थीया अधिवक्ता ने दी कि उनके कोई वारिस नहीं है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 का नाम दिनांक 17.06.22 को वादपत्र से हटाया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादी का वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि वर्तमान में उक्त रकबे में बने वादिया के मकान पर किसी का कब्जा नहीं है तथा मकान खाली है। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है इसलिए प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को रकबे व इसपर बने मकान पर दुबारा से कब्जा नहीं करें इस बाबत् पाबन्द करें ताकि वादिया को अपनी भूमि पर बने मकान में प्रवेश कर जीवनयापन कर सके।

अतः वादीया का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को आदेश दिया जाता है कि वह (प्रतिवादी सं0 2 ता 6) वादीया के चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/18 के किला नं0 20 में 18 बिस्वा का 1/5 हिस्सा भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करें तहसीलदार खाजूवाला उक्त आदेश की पालना करवावें एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 दुबारा वादिया के रकबे में जबरदस्ती प्रवेश कर दुबारा अवैध अतिक्रमण का प्रयास करें तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम ),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)